

D.N. = 367
17/5/17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज.)

प्रकरण संख्या 43/2017

पत्नी दरोगा बनाम शवाना कुम्हार वर्गीय

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक- 16/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थनापत्र पत्नी दरोगा ने जारिये किया है।
श्री M.K. पट्टिवाल एडव ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एक
खाने की भूमि ग्राम शामथला पोहो सरधला तह0 माण्डलगढ में
खाना नं0 54 आ0 नं0 226/80 बरकला 15 खाना आ0 नं0 228/91, 282/224,
कुलजिला 3 बरकला 8 खाना 5 खाना खाना नं0 55 की आ0 नं0 225/80
8 खाना 8 खाना - बौघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीय आदेश
विवाद का लेकल अगड्डा फिसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रस्तान कला
साथ से प्रार्थनापत्र की तार्इद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान आदेश
की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में रोलगन जमाबंदी सम्वत 2073 के अवलोकन से प्रायः
आशजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद का
शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं
है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0 के अंतर्गत
ग्राम शामथला की आराजी नं0 खाना नं0 54 226/80, 228/91, 282/224 8 खाना
5 खाना खाना नं0 55 की आ0 नं0 225/80 2 खाना 5 खाना
को बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी
का आदेश दिये जाते हैं। मू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त
कमीशनर फीस /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अतः
पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकौष में जमा होने पर पालना
माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।